राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग
(पंचायती राज)

सं. एफ.4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2013/796 जयपुर, दिनांक :04-10-2013

## अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (पांचवा संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 266 का संशोधन.**- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा, गया है, के नियम 266 के विद्यमान खण्ड (5) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(5) चतुर्थ श्रेणी (100% सीधी भर्ती द्वारा) मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी",

3. **नियम 273 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 273 के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह भी कि चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति की दशा में, योग्यता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी वरीयता के आधार पर तैयार की जायेगी जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और ऐसे अंकों, जो राज्य में मनरेगा स्कीम में सहायक (सहायक कर्मचारी) के पद पर लगे हुए व्यक्तियों द्वारा अर्जित एक वर्ष से अधिक के अनुभव की समयावधि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये।"

4. **नियम 282 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 282 के उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला महिला विकास अभिकरण (जि.म.वि.अ.)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. **अनुसूची–। का संशोधन.**– उक्त नियमों के अध्याय–12 की अनुसूची–। के विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | चतुर्थ श्रेणी | 100% | – | मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी | – | – | – |

"

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

( किशन लाल बाडेटिया )
उप शासन सचिव।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र(असाधारण) के भाग 4(सी)(जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
3. निजी सचिव, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज0, जयपुर ।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, पंचायती राज विभाग / ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव ।